कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

एसबी सिविल याचिका संख्या 4378/2021 धर्मेन्द्र चलचलानी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पारित निर्णय में निम्नांकित याचिकार्थियों ने अभ्यावेदन निस्तारण हेतु विभाग को प्रेषित किए है –

क्र.सं.	याचिकार्थी का नाम मय पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पदस्थापन स्थान/ADDRESS
01	नवीन कुमार माथुर, कनिष्ठ सहायक	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल वानसूर, अलवर
02	दिनेश चन्द्र शर्मा, कनिष्ठ सहायक	राउमावि नवीन अलवर
03	राजेश कुमार अग्रवाल, कनिष्ठ सहायक	राउमावि खेडली सैयद, अलवर
04	अनिल कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक	राउमावि घसोली किशनगढवास, अलवर
05	राजेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक	राउमावि दिवाकरी अलवर
06	रेखा शर्मा, कनिष्ठ सहायक	रामावि सोनावा, अलवर
07	चक्रवर्ती सेन, कनिष्ठ सहायक	राउमावि किशनगढ, अजमेर
08	मधु वर्मा, कनिष्ठ सहायक	राउमावि पुलिस लाईन, अजमेर
09	राजु खान, कनिष्ठ सहायक	राउमावि सरवाडा, अजमेर
10	राजकुमार कुमावत, कनिष्ठ सहायक	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर
11	महेश चंद्र, कनिष्ठ सहायक	राउमावि सरमालिया, अजमेर
12	ओम प्रकाश गहलोत, कनिष्ठ सहायक	R/o316A Harijan wali Gali, Mita Kuwa ke pass Lohakhara, Ajmer
13	मुनीर मोहम्मद, कनिष्ठ सहायक	Jailor ka Makan, New Basti, Lohakhan, Ward No. 51, Ajmer
14	फरीद अहमद, कनिष्ठ सहायक	R/o 358 Gandhi Chown, Nasirabad, Ajmer
15	राजेश कुमार सक्सेना, कनिष्ठ सहायक	R/o I-G-8, Housing Board Colony, J.P. Nagar Madar,Ajmer

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.03.2021 के अनुसरण मे याचिकार्थियो द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी राज्य सेवा मे कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति वर्ष 2009 की है। याचिकार्थियो को नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना मे दी गई थी। प्रार्थीयो द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मे निवेदन किया है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय मे दायर याचिका संख्या 712/04 श्री दिनेश कुमार सैनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मे जयपुर बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2004 की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.12.2004 को शासन सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता मे आयोजित की गई थी। उक्त समिति द्वारा गम्भीर मनन एवं विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया गया की माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर एस.एल.पी नम्बर 8287/93, 8376/93, 13969–70/93 मे पारित निर्णय दिनांक 27.09.1993 के परिप्रेक्ष्य मे इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना मे नियुक्तियां दी जा चुकी है। जहां तक वरिष्ठता लाभ एवं अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदत्त करने का प्रश्न है, न तो राज्य सरकार द्वारा एवं न ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहां गया है कि ये नियुक्तियां भूतलक्षी प्रभाव से होगी।

इस प्रकार के समान प्रकरण में दायर याचिका संख्या 13923/19 बालकिशन पारी व अन्य बनाम राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 23.09.19 के विरूद्व विभाग द्वारा डी0बी0स्पेशल अपील 383/2020 दायर की गई है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.20 को विभाग के पक्ष मे स्थगन प्रदान किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे डी.बी अपील संख्या 383/2020 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम बालकिशन पारीक व अन्य दायर की गई है। उक्त स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय मे निर्णयाधीन होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के विवरणानुसार क्रम संख्या 01 से 15 तक प्रस्तुत अभ्यावेदन राजस्थान लिपिक वर्गीय नियम– 1957 जो अब वर्ष 1999 के नाम से प्रदत्त है, के प्रावधानों के तहत वरिष्ठता नियमित नियुक्ति तिथि से देय है, के अनुरूप इन याचिकर्ताओं को उनके कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाकर प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/1986/6088/अनिलकुमार/ 19/20 दिनांक – 9/09/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि0/29887/एफ/2021/2 दिनांक 20.07.2021 के क्रम में।
2. सिस्टम ऐनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बावत।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, /संबंधित जिशिअ (मु.) मा शि को अभ्यावेदन एवं निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि RSR नियम 1957 एवं 1999 के प्रावधानानुसार नियमित नियुक्ति तिथि से वा. वेतन वृद्वि, पदोन्नति एवं चयनित वेतनमान की देयता बनती है तो तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करें एवं सम्बन्धित कार्मिक को अभ्यावेदन निस्तारण की प्रति उपलब्ध करवाये।
4. सम्बन्धित कार्मिक श्री ....
5. गार्ड पंजिका

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते